

**“जल जीवन मिशन” अन्तर्गत जनपद स्तरीय जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 27.02.2021 को सम्पादित बैठक की कार्यवृत्ति।**

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कराये जा रहे जल जीवन मिशन की विभिन्न योजनाओं को जनपद स्तर पर क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010टी०सी०-अ दिनांक 21 जनवरी 2020 एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 2100/छिहत्तर-1-2020/- 9सम/2005टी०सी०-5 दिनांक 04 नवम्बर 2020 के क्रम में दिनांक 27.02.2021 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कौशाम्बी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में बैठक सम्पादित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे।

01. श्री अमित कुमार सिंह, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कौशाम्बी।
02. श्री शशिकान्त त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी।
03. श्री एच० पी० मणि, उप मुख्य चिकित्साधिकारी कौशाम्बी।
04. श्री विजय कुमार, जिला विकास अधिकारी कौशाम्बी।
05. श्री सौमित्र, अधिशासी अभियन्ता जल निगम कौशाम्बी/सदस्य सचिव।
06. श्री गौरी शंकर गुप्ता, सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई कौशाम्बी/नोडल।
07. श्री गोपाल जी ओझा, जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी।
08. श्री प्रकाश सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी।
09. श्री राकेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड कौशाम्बी।
10. श्री एस० एन० त्रिपाठी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, वन विभाग कौशाम्बी।
11. श्री विनोद कुमार, प्रतिनिधि जिला सूचना अधिकारी कौशाम्बी।
12. श्री अजीत कुमार, अवर अभियन्ता कृषि विभाग कौशाम्बी।
13. श्री मुलायम सिंह, वाटर सैम्पुल कलेक्टर भूगर्भ जल विभाग कौशाम्बी।
14. श्री टी० के० गिरि, प्रोजेक्ट मैनेजर मे० जे० एम० सी० प्रोजेक्ट।
15. श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष मात्रभूमि विकास परिषद।  
(आई०एस०ए०)
16. श्री दिनेश चन्द्र, सचिव, ग्रामीण उत्कर्ष शोध संस्थान। (आई०एस०ए०)
17. श्री रामबहादुर सिंह, प्रबन्धक मानव सेवा संस्थान। (आई०एस०ए०)
18. श्री अशोक सिंह, सचिव, परख। (आई०एस०ए०)
19. वैष्णवी फाउण्डेशन, (आई०एस०ए०)

सर्वप्रथम सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई/नोडल जल जीवन मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को उनकी मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "हर घर जल" कार्यक्रम संचालित है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी० सी०-अ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को जनपद स्तर पर क्रियान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति का गठन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक में पाइप पेयजल योजनान्तर्गत 27 ग्रामों का चयन प्रथम बार में किया गया है।

अधिकांश निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ० प्र० जल निगम के पत्र सं० 2443/W-314/JJM-IAS/2020-21 दिनांक 25 जनवरी 2021 द्वारा जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद कौशांबी हेतु निम्नानुसार कुल 05 "इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी" (आई०एस०ए०) का चयन किया गया है।

क्र०सं०	संस्था का नाम	कैटेगरी
01	VAISHNAVI FOUNDATION	A
02	PARAKH	A
03	MATRIBHOOMI VIKAS PARISHAD	A
04	GRAMIN UTKARSH SODH SANSTHAN	B
05	MANAV SEWA SANSTHAN	C

"इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी" का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों एवं टर्नओवर के आधार पर कुल 03 कैटेगरी A, B एवं C में विभाजन किया गया है जो कार्य क्षमता से सम्बन्धित है यथा श्रेणी A की कार्य क्षमता श्रेणी B एवं C से अधिक है। इसी प्रकार श्रेणी B की कार्य क्षमता श्रेणी A से कम तथा

कमशः पृष्ठ 03 पर.....

श्रेणी C से अधिक है तथा श्रेणी C की कार्य क्षमता श्रेणी B एवं A से कम है।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित “जल जीवन मिशन” के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश सं० 03/2021/423/छिहत्तर -1-2021-03शिकायत/2020 दिनांक 05 फरवरी 2021 द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु चयनित सहयोगी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं को 40-40 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर जनपद की समस्त 451 ग्राम पंचायतों के 40-40 ग्रामों के कुल 12 क्लस्टर तैयार कर उक्त इम्प्लीमेंट एजेन्सी को उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा कहा गया। जिस पर कैटेगरी के आधार पर क्लस्टर का आवंटन निम्न प्रकार किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	संस्था का नाम	कैटेगरी	आवंटित क्लस्टर की संख्या	क्लस्टर में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों की संख्या
01	VAISHNAVI FOUNDATION	A	03 क्लस्टर	120
02	PARAKH	A	03 क्लस्टर	91
03	MATRIBHOOMI VIKAS PARISHAD	A	02 क्लस्टर	80
04	GRAMIN UTKARSH SODH SANSTHAN	B	02 क्लस्टर	80
05	MANAV SEWA SANSTHAN	C	02 क्लस्टर	80

समिति द्वारा उक्त इम्प्लीमेंट एजेन्सी के प्रतिनिधियों को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार आवंटित क्लस्टर के आधार पर शीघ्र ही कार्य कराये तथा जिस ग्राम पंचायत में जल निगम की पूर्व संचालित योजनाएं चल रही हैं जो ग्राम मे० जे० एम० सी० की सूची में सम्मिलित हैं, उनमें पहले प्रचार-प्रसार किया जाए। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा समिति के समक्ष जनपद के गुणवत्ता प्रभावित अवशेष राजस्व ग्रामों की सूची प्रस्तुत किया गया जिसे समिति ने फर्म को अगली सूची के साथ उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

कमशः पृष्ठ 04 पर.....

समिति के समक्ष मे० जे० एम० सी० के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री टी० के० गिरि ने अवगत कराया कि फर्म द्वारा प्राप्त 27 राजस्व ग्रामों की सूची के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा प्रत्येक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सरकारी भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिस पर बोर वेल, सोलर पार्क, ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी बिल्डिंग, ओवरहेड टैंक, स्टीफ आवास, डी०जी० शेड आदि स्थापित किया जा सके। प्रोजेक्ट मैनेजर के उक्त अनुरोध के क्रम में समिति द्वारा प्रत्येक प्रोजेक्ट सरकारी बंजर भूमि पर कार्य कराने हेतु कहा गया। समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त गाँव के सापेक्ष जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को अपने तहसीलदार एवं लेखपालों द्वारा समस्त चयनित ग्रामों में सरकारी बंजर भूमि का चयन कर समिति को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री टी० के० गिरि प्रो० मैनेजर ने जनपद के अवशेष ग्रामों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ताकि फर्म पूरे जनपद में जल जीवन मिशन की योजना को कार्यरूप दे सके।

उक्त के सन्दर्भ में समिति द्वारा कहा गया कि भारत सरकार के जल जीवन मिशन अन्तर्गत "हर घर जल" कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर को उनकी मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य निहित है जिस पर जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर जनपद की समस्त 451 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 703 राजस्व ग्रामों की कुल जनसंख्या में अनु०जाति/जनजाति की जनसंख्या लगभग 35.90 प्रतिशत को उक्त योजना से संतृप्त कराने के उपरान्त अवशेष बचे ग्रामों में योजना के क्रियान्वयन में आने वाले सम्भावित अतिरिक्त व्यय से बचने के दृष्टिगत समिति द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि पूरे जनपद के अवशेष राजस्व ग्रामों में भी योजना के क्रियान्वयन के लिए समस्त राजस्व ग्रामों की सूची मे० जे० एम० सी० को भी उपलब्ध करा दिया जाये ताकि पूरे जनपद में एक साथ योजना का क्रियान्वयन कर जल जीवन मिशन के उद्देश्य को कार्यरूप दिया जा सके, जिस पर समिति के अध्यक्ष महोदय ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त किया जिसके त्मिस्र सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई/नोडल जल जीवन मिशन को सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद कौशाग्वी में पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों का सम्पादन हेतु सूचीबद्ध फर्म मे० जे० एम० सी० प्रोजेक्ट एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, जे०वी० 6वीं तल कल्पतरु सेनर्जी ग्राण्ड हॉयात होटल के सामने, साब्लाकूल (ईस्ट) गुम्बई द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिस हेतु उक्त फर्म को

समिति द्वारा जनपद में पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं के (13 नग) पुर्नगठन एवं अन्य गुणता प्रभावित 04 ग्रामों की प्रस्तुत सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के अत्यधिक प्रतिशतता वाले 10 राज्य ग्रामों की सूची भी उपलब्ध करा दिया गया है।

अन्त में जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई/नोडल जल जीवन मिशन द्वारा उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(अमित कुमार सिंह)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
कौशाम्बी।

का्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी।

पत्रांक

प्रतिलिपि:-

01. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
03. मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग 30 प्र० लखनऊ।
04. मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी।
05. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग कौशाम्बी।
06. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
07. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
08. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद कौशाम्बी।
09. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड प्रयागराज।
10. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई खण्ड कौशाम्बी।
11. अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग कौशाम्बी।
12. अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव कौशाम्बी।
13. सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई/नोडल, जल जीवन मिशन कौशाम्बी।
14. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी।
15. जिला कृषि अधिकारी कौशाम्बी।
16. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कौशाम्बी।
17. मे० जे० एम० सी० प्रोजेक्ट एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, जे०वी० 6वॉ तल कल्पतरु सेनर्जी ग्राण्ड हॉयात होटल के सामने, सान्ताकूज (ईस्ट) मुम्बई।
18. वैष्णवी फाउण्डेशन, ग्राम जमुआ, वाया जारी, कोरांव जनपद प्रयागराज।
19. परख, ग्राम थारबिहार, पो० पिण्डी, करछना, जनपद प्रयागराज।
20. मातृभूमि विकास परिषद, ग्राम व पो० महिला, कौशाम्बी।
21. ग्रामीण उत्कर्ष शोध संस्थान, 85/3बी/1 पुष्पांजली नगर, भावपुर प्रयागराज।
22. मानव सेवा संस्थान, 36 आई०टी०आई० रोड दक्षिणी गौतम नगर, फतेहपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
कौशाम्बी।